भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.539

04.12.2025 को उत्तर के लिए

लेसर फ्लोरिकन पक्षियों की स्थिति और संरक्षण

539. श्रीमती संगीता यादवः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में लेसर फ्लोरिकन की अनुमानित आबादी कितनी है और विगत पाँच वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या रुझान देखे गए हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मुख्य चरागाह पर्यावास और प्रवासी स्थल कौन-कौन से हैं जहां वर्तमान में इस प्रजाति की व्यवहार्य आबादी को समर्थन दिया जा रहा है और सर्वेक्षण पद्धति, आवृत्ति और संस्थागत उत्तरदायित्व सहित उनकी निगरानी के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने प्राथमिकता वाले उच्च जोखिम युक्त भू-दृश्यों की पहचान की है और प्रजातियों की आबादी में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए पर्यावास पुनर्स्थापन, संरक्षित क्षेत्र अधिसूचना, सामुदायिक सहभागिता और समर्पित वित्त पोषण सहित समयबद्ध कार्य योजनाएँ तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है। हालाँकि, मंत्रालय बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों की जनसंख्या का अनुमान लगाता है। लेसर फ्लोरिकन जैसे पक्षियों सहित कई अन्य वन्यजीवों की जनसंख्या का आकलन विभिन्न समयों पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जिन्हें मंत्रालय में संकलित नहीं किया जाता।

लेसर फ्लोरिकन के प्रमुख प्रजनन पर्यावासों और प्राथमिक भूदृश्यों में शोकलिया-भिनई, अजमेर, राजस्थान, वेलावदर-भाल, भावनगर, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ, गुजरात शामिल हैं।

लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम:

i. लेसर फ्लोरिकन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इसे शिकार से सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। अधिनियम की धारा 9 में उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूची-I में सूचीबद्ध किसी भी वन्यजीव का शिकार नहीं करेगा।

ii. केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव पर्यावासों के विकास के अंतर्गत प्रजाति मंत्रालय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के माध्यम से पहचानी गई प्रजातियों के केंद्रित संरक्षण हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेसर फ्लोरिकन इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहचानी गई 24 प्रजातियों में से एक है।

iii. इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन दोनों प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन तथा अनुसंधान-निर्देशित स्वस्थाने संरक्षण के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना भी शुरू की है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संबंधित राज्य वन विभागों के सहयोग से लागू की जा रही है, जिसमें घासभूमि पर्यावासों की पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापित क्षेत्रों में संरक्षित बाड़ों का निर्माण, महत्वपूर्ण संरक्षण स्थलों का संरक्षण एवं निगरानी, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का उन्मूलन, अग्नि रोकथाम उपाय, शिकारी-रोधी बाड़ों की स्थापना और रख-रखाव, उपग्रह टेलीमेट्री आधारित निगरानी तथा संरक्षण प्रयासों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों एवं हितधारकों के साथ संपर्क और सहभागिता शामिल है।

iv. लेसर फ्लोरिकन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से युक्त दो समर्पित प्रजनन केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं–एक गुजरात में और दूसरा राजस्थान में। राजस्थान में, संरक्षण प्रजनन राज्य वन विभाग के सहयोग और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तकनीकी समर्थन से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भविष्य में वन्य क्षेत्र में छोड़ने के लिए इस प्रजाति की कैप्टिव (संरक्षित) आबादी तैयार करना और प्रजाति के स्वस्थाने संरक्षण को बढ़ावा देना है।
